मूल्य रू.200/–
टेंडर फार्म संख्या..........

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय उधोग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

निविदा प्रारूप
कार्य का नामः– हाउस किपिंग (सफाई कार्य)

संदर्भः आपकी निविदा दिनांक ....

1. निगम के उधोग भवन स्थित मुख्यालय (समस्त पुराना एवं नया भवन) के **सफाई के** कार्य हेतु दिनांक 19.02.2022 से 18.02.2024 तक (दो वर्ष हेतु) की अवधि हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाले फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार का नाम तथा डाक का पूर्ण पताः–

....
....
....

3. निविदा शुल्क की राशि रू.200/– नकद रसीद संख्या .... दिनांक .... के द्वारा जमा करादी गई है।

4. निविदा सूचना, जो कि दिनांक .... द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिए मैं/ फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तो को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के लिए मै/ फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार पूर्ण रूप से सहमत है। मैरे/हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्य हेतु दरें निम्न प्रकार हैः–

साफ–सफाई कार्य हेतु लेबर की प्रतिमाह दर जिसमें सामान निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।	रू... (अक्षरे रूपये .... मात्र प्रतिमाह)

5. आदेश प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् 19.02.2022 से हमारी फर्म द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया जावेगा। उक्त वर्णित दरें दिनांक 18.02.2024 (दो वर्ष) तक वैघ रहेगी।

6. धरोहर राशि टेण्डर मूल्य की 2 प्रतिशत राशि नकद/डिमाड ड्राफ्ट/रसीद संख्या....................................... दिनांक .... संलग्न है।

7. साफ सफाई के कार्य के कार्यानुभव से संबंधित दस्तावेज/सर्टिफिकेट संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर
दिनांक..

संलग्नः निविदा की शर्ते

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय उधोग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

कार्य का नामः– हाउस किपिंग (सफाई कार्य)

1 ठेका अवधि दिनांक 19.02.2022 से 18.02.2024 तक (दो वर्ष हेतु) होगी एवं जब भी आपका ठेका समाप्त होगा तो आपको उस समय नये ठेकेदार को साफ सुथरी अवस्था में संभलवाना होगा।

2 निविदादाता द्वारा जो इस कार्य में दक्ष हों या उनके द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है एवं जिस कार्य के लिए निविदा दी जा रही है उसका वास्तव में व्यवसाय किया जा रहा है इसके लिए जहां यह वर्तमान में कार्य कर रहा है अथवा पूर्व में कार्य किया है उसके कम से कम 3 वर्ष के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।

3 उपरोक्त दरें प्रस्तुत करते समय टेंडर मूल्य की राशि का 2 प्रतिशत डीडी या नकद निगम के खाते में धरोहर राशि के रूप में जमा कराना होगा एवं कार्यादेश प्राप्ति के बाद कुल कार्यादेश की राशि का 5 प्रतिशत निगम के खाते में जमानत राशि के रूप में जमा कराना होगा तथा जमानत राशि कार्य के संतोषप्रद कार्यावधि समाप्त होने पर निगम द्वारा लौटा दी जायेगी।

4 निगम में झांडू पोंछा प्रतिदिन तीन बार लगाना होगा (प्रातः 9 बजे, 1 बजे एवं 3 बजे) सफाई कार्य प्रातः 9 बजे तक पूर्ण हो जाना चाहिए इस कार्य के लिए आपके कम से कम 8 सफाई कर्मी प्रातः 6 बजे उपस्थित हो जाने चाहिए जिससे की सफाई कार्य सुचारू रूप से हो सके। इस कार्य में कास्टिक सोडा, फिनायल, तेजाब एवं वाशिंग पाउडर द्वारा सफाई के कार्य में उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा, जिसे निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

5 शौचालयों की सफाई आदि प्रत्येक दो घंटे बाद फिनायल से करना आवश्यक होगी तथा इसमें आवश्यकतानुसार फिनायल की गोलियां/छोटे साबुन एवं ऑडिनिल आदि आवश्यकतानुसार बाथरूम में रखनी होगी।

6 फर्श पर धुलाई के बाद पौंछा लगाया जायेगा एवं साथ ही दीवारों पर पोस्टर/कागज तथा पान, पीक, धूल आदि की दैनिक सफाई करनी होगी।

7 निगम द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी भी स्थान पर गंदगी पाई जाने पर या अनुबंध की शर्तो का उल्लंधन पाये जाने पर पांच सौ रूपये प्रतिदिन देय राशि में से काट लिये जायेगें।

8 सफाई कार्य में काम आने वाले सामान निम्न प्रकार अनुबंधकर्ता को आवश्यकतानुसार निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा फिनायल 2. साबुन की टिकियां 3. सर्फ 4. विम 5. तेजाब 6. ऑडोनिल 7. कास्टिक 8. फिनिट/हिट इत्यादि।

9 सफाई के यंत्र, औजार, झांडू, पोंछा इत्यादि ठेकेदार को स्वयं द्वारा काम में लेने होगें।

10 सप्ताह में एक बार निगम के समस्त कक्षों में जाले, धूल आदि की सफाई तथा दीवारों की सफाई करनी होगी। निगम में जहां भी कारपेट, सोफासेट आदि उपलब्ध कराये हुए है, वहां पर कम से कम 15 दिन में एक बार वेक्यूम क्लीनर से सफाई करनी होगी, उसके अतिरिक्त विशेष अवसरों 15 अगस्त, 26 जनवरी, दीपावली आदि पर भवन के चारों ओर से परिसर की सफाई करनी होगी।

11 निगम में मच्छरों की रोकथाम के लिए फिनट/हिट छिडकाव समय समय पर करना होगा।

12 सफाई कार्य का बिल मासिक तौर पर देना होगा एवं इसका भुगतान कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर प्रतिमाह के आधार पर किया जायेगा।

13 शर्तो एवं नियमों को भंग करने या ठेके का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा एवं घरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14 अनुबंध दो वर्ष के लिए मान्य होगा तथा निगम को यह अधिकार होगा कि वह इसे घटा बढ़ा सकता है।

15 दोनो पक्षों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निगम के प्रबन्ध निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा।

16 निविदादाता को सरकारी अर्द्धसरकारी कार्यालय भवन में 20000 वर्गफुट या अधिक जगह पर कम से कम 3 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव हो। इस संबंध में उसे संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17 निगम द्वारा स्वीकृत फर्म को कार्य आदेश के 15 दिवस में यह करार निष्पादित करना होगा, जो कि रू. 500/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होगा।

18 कार्य के दौरान अगर कोई भी दुर्धटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगा।

19 चयनित फर्म या उसके किसी भाग को ना तो किसी अन्य ऐजेन्सी को देगा और ना ही किसी को आगे स्थानान्तरित करेगा।

20 निगम को बिना किसी कारण बताएं उक्त निविदा को अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा।

21 सभी शर्तें आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अधीन लागू होंगी।

22 उपरोक्त सभी शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गई है तथा मुझे स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर

दिनांक